न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2022 (डूंगरपुर डिक्री)

1. कचरू पिता सेवा रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भरत पिता कचरू रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हकरा पिता सेवा रावल जोगी (मृतक) के बजाय :–

1/1. रमण पिता हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2. कालू पिता हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

1/3. श्रीमती अमृत पत्नी हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

1/4. मणी पुत्री हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

1/5. कान्ता पुत्री हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

1/6. रणछोड़ पिता हकरा जी रावल जोगी, निवासी गामडी, देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

2. भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर दिनांक
17.09.2019, प्रकरण संख्या 1/2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान [illegible] अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 11–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 1 मृतक हकरा व 1/6 रणछोड़ ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई है तथा वादी संख्या 2 वादी संख्या 1 का पुत्र है। वादी का एक भाई काऊ और होकर वादी तीन भाई हैं। स्वर्गीय सेवा के खाते के खेत खाता संख्या 53/242 संवत् 2019 से 2038 के खसरा नंबर 413 वाडिया रकबा 4 बिस्वा का होकर उसमें वादीगण के परिवार को आपसी बंटवारे में बने एक मकान के एक भाग में वादी हकरा अपने पुत्र कालू के साथ रहता है। दूसरा हिस्सा रणछोड के लिए रखा था मगर भरत को मकान की आवश्यकता होने से प्रतिवादीगण की मांग पर वादीगण ने अपने मकान में प्रतिवादीगण को सुविधा के लिए रहने दिया। वादी रणछोड ने रहने के लिए प्रतिवादीगण गत दो वर्षो से मकान खाली कर वापस करने को कहा तो खाली नहीं किया एवं रसोडा व बरामदा तोडकर पक्का निर्माण करने जा रहे हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीगण के निर्मित मकान में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने तथा कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने व वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद के खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तीनों भाईयों में पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्से के पुराने मकान का नवनिर्माण कर रहे हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–09–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–07–2022 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री बिना अधिकार के होकर वोईड है, जिसमें मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है, क्योंकि सहखातेदारों के विरूद्ध एडवर्स पजेशन का दावा लाया ही नहीं जा सकता तथा सहखातेदारी की प्रत्येक ईन्च भूमि पर सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाकता है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने हर पेशी पर उपस्थित नहीं होने को कहा था, किन्तु कई पेशियां निकल जाने के बाद जब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से पूछा तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2018 (1) Page 601, RRT 2011 (1) Page 602 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होते हुए भी जानबूझकर अपील करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है। इतने समय तक इन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17—09—2019 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 25—07—2022 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 16—11—2019 तक प्रस्तुत हो जानी थी। इस प्रकार अपील करीब 2½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एवं इसके लिए कारण [अ]धिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested

देना एवं कोरोना काल होना बताया है, हालांकि कि अधिवक्ता की गलती सजा अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती, किन्तु इतने वर्षो तक उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई ठोस कारण उन्होंने नहीं बताया है। देरी के लिए अपीलान्ट ने जो कारण बताये हैं वह उचित एवं पर्याप्त कारण होना प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालयद ने तनकी नंबर 1 इस प्रकार बनायी कि ''आया वाद वर्णित भूमि मौजा गामडी देवल के खसरा नंबर 413 रकबा 4 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा होकर उसमें वर्णित मकान वादीगण का ही है।'' उक्त तनकी रेकार्ड के विपरीत बनायी गयी है। इस आराजी के 1/3 हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा होकर 40 वर्षो से उसका मकान बना हुआ है तथा रेकार्ड में भी सहखातेदार दर्ज हैं। अपीलान्ट अपने मकान में निवास कर रहे हैं, जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है, किन्तु वादीगण ने अपना मकान बताकर गलत दावा पेश किया है, जिससे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2016 (2) Page 1354, RBJ 2012 Page 460, DNJ 2019 (4) Page 1376, RBJ 2014 Page 642 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने अपने वाद में आराजी नंबर 413 रकबा 4 बिस्वा हिस्से में उन्हे[illegible]ना एवं उक्त भूमि पर अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested

मकान होने का कथन किया गया है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि यह कथन किया गया है कि तीनों भाईयों के मध्य विभाजन होकर अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। खसरा नंबर 413 रकबा 4 बिस्वा बाबत् कोई खण्डन अपने जवाबदावे में नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 413 रकबा 4 बिस्वा वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मानते हुए तनकी नंबर 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की है, जो विधि सम्मत है। उक्त तनकी नंबर 1 के विवेचन के आधार पर तनकी नंबर 2 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में करते हुए मकान से कब्जा प्रतिवादीगण का हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करते हुए मकान का कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जाने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। अपीलान्ट का यह उजर कि तनकी नंबर 1 गलत विरचित की गयी है, उचित प्रकट नहीं होता है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी वह इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 17–09–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............ व इजलास .... कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

कचरू पिता सेवा रावल जोगी, गामडी देवल, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य	बनाम	हकरा के बजाय रमण पिता रावल जोगी, निवासी गामडी देवल, तह0 जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं॰......11/2022...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....डूंगरपुर........... मुकाम................मुवर्खे............17..............माह..............09............2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........11....माह........02....सन् 2025 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी........श्री संजय बोहरा.........मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री कमलेश चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 17–09–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......11.......माह.......02..........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:20 IST
Reason: SelfAttested